



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक – 26 फरवरी, 2025

थाना ककोड़

03 शातिर चोर गिरफ्तार व 03 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे से चोरी किया गया सामान, घटना में प्रयुक्त गाडी, मोटरसाईकिल, अवैध असलहा कारतूस व अवैध चाकू आदि बरामदा।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 25/26.02.2025 की रात्रि में थाना ककोड़ पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर चैकिंग के दौरान जंगल ग्राम अलीपुरा से 03 शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया तथा 03 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे से चोरी किया गया सामान व घटना में प्रयुक्त गाडी, मोटरसाईकिल, अवैध असलहा कारतूस व अवैध चाकू आदि बरामदा।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना ककोड़ पर मुअसं- 68/25 धारा 3/4/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है तथा बाल अपचारियों को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. हेमराज उर्फ हेमी पुत्र रोहतान निवासी ग्राम सुनपेड़ा थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।
2. विवेक पुत्र भोला बाल्मिकी निवासी ग्राम वैलाना थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।
3. रितिक पुत्र रामवीर निवासी वैलाना थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।
4. 01 बाल अपचारी
5. 01 बाल अपचारी
6. 01 बाल अपचारी

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 स्ट्रीम मोटरसाईकिल नं० UP-13CN-3665(घटना में प्रयुक्त)
2. 01 मारुति जैन गाडी नं० DL-3CBM-9871(घटना में प्रयुक्त)
3. 04 इंजन ब्लाक माल मसरुका, 05 हैड लोहा पम्पिंग इंजन, 02 बैटरा, 01 प्लास, 02 चाबी, 01 पेंचकस
4. 02 तमंचे 315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस
5. 01 अवैध चाकू

अभियुक्तों द्वारा थाना ककोड़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ख्वाजपुर में किसानों के खेतों में रखे इंजनो के हैड पम्प चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना ककोड़ पर मुअसं- 34/25 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस पंजीकृत हैं।

अभियुक्तों द्वारा थाना ककोड़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ख्वाजपुर के जंगल में पालीफार्म से टैक्टर का बैटरा व अन्य सामान चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना ककोड़ पर मुअसं- 66/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त हेमराज उर्फ हेमी का आपराधित इतिहास-

1. मुअसं - 249/22 धारा 380/411 भादवि थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं - 337/24 धारा 379 भादवि थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं - 34/25 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं - 66/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं - 68/25 धारा 3/4/25 आयुध अधि० थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त विवेक का आपराधित इतिहास-

1. मुअसं - 34/25 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं - 66/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं - 68/25 धारा 3/4/25 आयुध अधि० थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त रितिक का आपराधित इतिहास-

1. मुअसं - 34/25 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं - 66/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं - 68/25 धारा 3/4/25 आयुध अधि० थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री नरेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना ककोड़
2. उ०नि० गुरुवचन सिंह, उ०नि० रामवीर सिंह, उ०नि० रमेशचन्द, उ०नि० फरीद अहमद
3. है०का० महेश यादव, का० अशोक दीक्षित



मीडिया सेल, बुलंदशहर